

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र.

Email ID- dcourtshj-mp@nic.in

PH. No. 07364-227909

क्रमांक- 3088/ लेखा / 23
प्रतिलिपि :-

शाजापुर, दिनांक 7.07.2023

01. जिला नाजिर, जिला न्यायालय शाजापुर की ओर जिला न्यायालय परिसर शाजापुर में वाहन स्टैण्ड की नीलामी के संबंध में निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन को कार्यालय जिला न्यायालय शाजापुर के नोटिस पर पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
02. कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय कलेक्टर शाजापुर की ओर जिला न्यायालय परिसर शाजापुर में वाहन स्टैण्ड की नीलामी के संबंध में निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन को कार्यालय जिला कलेक्टर शाजापुर के नोटिस पर पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
03. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, शाजापुर की ओर जिला न्यायालय परिसर शाजापुर में वाहन स्टैण्ड की नीलामी के संबंध में निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन को कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर के नोटिस पर पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
04. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शाजापुर की ओर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर शाजापुर में वाहन स्टैण्ड की नीलामी के संबंध में निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन को जिला न्यायालय की वेबसाईट एवं mptender.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

शाजापुर म.प्र.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र.

Email ID: dcourtshj.mp@nic.in

PR No: 07364/23

निविदा

क्रमांक: 3082/लेखा/23

शाजापुर, दिनांक 17/07/2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर शाजापुर में दिनांक 01.08.2023 से 31.07.2024 के लिये वाहन स्टेण्ड की निविदाये अंतिम तिथि दिनांक 27.07.2022 को सायंकाल 05:00 बजे तक विभागीय वेबसाईट पर निर्धारित शर्तों के अधीन सलग्न निविदा फार्म पर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

01. वाहनों को स्टेण्ड पर रखने की दर :-
(ए) सायकल - 05 रूपये प्रतिदिन
(बी) दोपहिया वाहन - 10 रूपये प्रतिदिन
(सी) चार पहिया वाहन एवं अन्य - 20 रूपये प्रतिदिन
(डी) न्यायिक अधिकारियों/अधिवक्तागण/तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपने वाहन रखने हेतु न्यायालय परिसर में स्थान निर्धारित है। स-हे जमाने वाहन निर्धारित स्थान पर रखने की निःशुल्क पात्रता होगी।
02. वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत गुप्तज्ञान की दायरे में अनुबन्ध ग्रहीता की होगी।
03. अमानत राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) 80,000/- (अठ्ठास अस्सी हजार रूपये मात्र) वार्षिक न्यूनतम शासकीय अनुबन्ध दर से उच्चतम अनुबन्ध दर की निविदाये विचारणीय होगी।
04. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ 50,000/- (अंकन पचास हजार रूपये मात्र) की अमानत राशि जिला नाजिर, नजारत अनुभाग शाजापुर में एम.पी.टी.सी. की रसीद में जमा कर रसीद की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ सलग्न करनी होगी। ई-निविदा अंतिम रूप से स्वीकार की जाकर एक वर्ष हेतु वाहन स्टेण्ड संचालन की मान्यता दिये जाने पर अनुबन्ध की शेष राशि सात दिवस में जमा करने पर वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुमति दी जावेगी। अर्नेस्ट मनी/अमानत राशि जिला नाजिर एम.पी.टी.सी.-6 की रसीद में प्राप्त कर आगामी आदेश पर्यन्त सुरक्षित रखेगे।
05. विभागीय समिति की सिफारिश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर को अनुमोदन पर सूचित करने के पश्चात अधिकतम अधिमान्य निविदा की स्वीकृति मान्य होने पर शेष अनुबन्ध की राशि निर्धारित समयावधि सात दिवस में अदा करने पर अर्नेस्ट मनी शासन हित में राजसात कर वित्तीय अधिकतम दर संबंधित निविदादाता को वार्षिक अनुबन्ध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
06. स्वीकृत निविदा के अतिरिक्त शेष निविदादार अपनी अपनी अमानत राशि नियमानुसार 15 दिवस के अंदर प्राप्त करने के हकदार होंगे।
07. उक्त ई-निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर होंगे।
08. शासकीय कारणों से उक्त ई-निविदा किसी भी समय किसी भी प्रकार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर के आदेश से निरस्त की जा सकती।
09. वार्षिक अनुबन्ध में चूक होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर जब भी किसी भी समय पुनः अनुबन्ध प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती।
10. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जिले के लिये बनाई गई शिकायत निवारण समिति जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में अन्य सदस्य होंगे के द्वारा निवारित जायेगा।

सलग्न :- निविदा फार्म।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाजापुर मध्यप्रदेश

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र.

Email ID: dcourtshj.mp@nic.in

PH No. 073542474

विज्ञापन

जिला न्यायालय शाजापुर के वाहन स्टैण्ड के लिये दिनांक 01.08.2023 से 31.07.2024 तक की अवधि हेतु नीलामी ई-टेंडरिंग के माध्यम से की जा रही है जिसकी अंतिम तिथि 26.07.2022 निर्धारित की गई है।

ई-टेंडरिंग का प्राधिकृत प्रारूप माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

इच्छुक निविदाकार ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा विज्ञापन की शर्तों के अध्याधीन भाग ले सकेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाजापुर मध्य प्रदेश

निविदा फार्म

OPEN TENDER PROFORMA FOR CYCLE STAND

1. Rate Quotation of the Tender
2. Earnest Money Rupees. 50000/- Will be deposited before approval of tender by Head of Department Office.
3. M.P.T.C.-6 Receipt No. Enclose copy.
4. PAN No. Enclose copy of current income tax return.
5. GST No. Enclose copy of live registration.

The terms & conditions of the tender are Acceptable to me/us.

Singnature

Name & Address with seal & Date.....

.....

.....

Phone No.

Mobile No.

Fax

E-mail